न्यायालय जिला कलक्टर दौसा
पीठासीन अधिकारी–देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

निगरानी सं0 07/2022 (ग्राम पंचायत)

नर्बदेश्वर मंदिर महादेव बिराजमान ग्राम लवाण जरिये भक्तगणः–

1. रामफूल प्रजापत पुत्र मूलचंद प्रजापत
2. गम्भीरसिंह प्रजापत पुत्र गोपाली प्रजापत
3. हरिनारायण पुर्बिया पुत्र कल्याण पुर्बिया
4. कानाराम प्रजापत पुत्र नानगराम प्रजापत
5. धर्मसिंह बुन्देला पुत्र रामावतार पूर्बिया

समस्त निवासी ग्राम लवाण तहसील लवाण जिला दौसा राज0

......निगरानीकर्तागण

बनाम

1. सुरेश पुत्र श्री मक्खन
2. महेश पुत्र मक्खन
3. राजू पुत्र मक्खन
4. रमेश पुत्र ओमप्रकाश
   समस्त जागा निवासी ग्राम लवाण तहसील लवाण जिला दौसा
5. ग्राम पंचायत लवाण जरिये सचिव, ग्राम पंचायत लवाण पंचायत समिति लवाण
6. सहायक सचिव, ग्राम पंचायत लवाण पंचायत समिति लवाण
7. सरपंच, ग्राम पंचायत लवाण पंचायत समिति लवाण

...गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा दिनांक 5.9.2001 पट्टा संकल्प संख्या 19 ग्राम पंचायत लवाण द्वारा जारी किया गया है।

उपस्थितः–1. श्री राजकुमार तिवाडी, अधिवक्ता निगरानीकर्तागण

2. श्री राजेन्द्र शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1की ओर से।

निर्णय

दिनांक 31.01.2025

1. संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा–97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, लवाण द्वारा अप्रार्थी सं0 एक के पक्ष में पट्टा दिनांक 30.5.2022 को जारी कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानीकारान ने यह निगरानी पेश की गई है।
2. निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत लवाण का मूल अभिलेख मंगवाया गया।
3. अधिवक्ता निगरानीकर्तागण ने निगरानी में प्रस्तुत तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम लवाण की आबादी में नर्बदेश्वर महादेव मंदिर महाराज स्थित है जिसके प्रार्थीगण भक्तगण हैं तथा मंदिर की सेवा पूजा करते है व मंदिर में प्रार्थीगण के साथ आम जनता लवाण भी सेवा पूजा करती है। प्र[illegible]ी उक्त मंदिर में पूर्ण आस्था है। मंदिर नर्बदेश्वर महाराज शाश्वत [illegible] अप्रार्थीगण का कोई वास्ता नहीं है किन्तु अप्रार्थी सं0 1 से 4 के पूर्वज [illegible]नलाल, ओमप्रकाश [illegible] हजारीलाल जागा द्वारा ग्राम पंचायत लवाण में उक्त मंदिर की [illegible]त्ति का पट्टा प्राप्त [illegible]तु आवेदन पेश किया व ग्राम पंचायत से सांठ गांठ कर गुपचुप में कार्यवाही करवाकर अपने नाम से पट्टा अवैधानिक रूप से प्राप्त कर लिया। ग्राम पंचायत लवाण द्वारा जारी पट्टा संकल्प सं0 19 दिनांक 5.9.2001 सरासर विधि न्याय नियम व प्रकिया के विरूद्ध है। अप्रार्थी सं0 1 से 4

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:52:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

के पूर्वज मक्खनलाल व ओमप्रकाश ने जिस विवादित मंदिर की संपत्ति का पट्टा गुपचुप में ग्राम पंचायत लवाण के सरपंच व सहायक सचिव से साज करके दिनांक 5.9.2001 को प्राप्त किया गया है वह मंदिर शाश्वत नाबालिग की संपत्ति है जिसका पट्टा किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम जारी नहीं किया जा सकता है किन्तु ग्राम पंचाग्रत लवाण के सरपंच व सहायक सचिव द्वारा ओमप्रकाश व मक्खनलाल से मिलीभगत करके उक्त मंदिर की संपत्ति का पट्टा अपने हक में जारी करवा लिया जो निरस्तनीय है। मक्खनलाल की पत्नि छोटा देवी जागा वर्ष 2001 में ग्राम पंचायत लवाण की वार्ड सं0 20 से वार्ड पंच रही थीजिसमें अपने पद एवं प्रभाव का दुरूपयोग कर गुपचुप में मंदिर की संपत्ति का पट्टा बनवा लिया जो निरस्त योग्य है। ओमप्रकाश मक्खनलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर ग्राम पंचायत लवाण को विधिवत कब्जे व स्वामित्व की जांच करानी चाहिए थी व नोटिस दिया जाना चाहिए था जिससे प्रार्थीगण भक्तगण साक्ष्य पेश करते किन्तु ग्राम पंचायत लवाण ने ओमप्रकाश मक्खनलाल से मिलीभगत कर आनन फानन में गैर कानूनी तरीके से पट्टा जारी फरमा दिया जो निरस्त योग्य है। मंदिर की मैमाईश 30 गुणा 15 फीट कुल 50 वर्ग गज है जबकि उक्त पट्टा मौके पर मौजूद संपत्ति से अधिक भाग का जारी किया गया है जो पट्टे के फर्जी होने का प्रमाण है। ग्राम पंचायत लवाण का यह दायित्व था कि ओमप्रकाश मक्खनलाल द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उक्त मंदिर की सपत्ति के संबंध में नोटिस आदि व इश्तेहार आदि जारी करती जिससे कि प्रार्थीगण आपत्ति या अपना पक्ष रखते किन्तु ग्राम पंचायत लवाण के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके गुपचुप में पट्टा जारी किया गया है जो निरस्त योग्य है। अप्रार्थी सं0 1 से 4 के पूर्वजों को उक्त मंदिर के संबंध में पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं था किन्तु उन्होनें गुपचुप में ग्राम पंचायत लवाण के सरपंच व सहायक सचिव से सांठ गांठ करके गलत बयानी दर्ज कर फर्जी दस्तावेज के आधार पर पट्टा प्राप्त किया है जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को पूर्व में नहीं थी। अभी हाल ही में अप्रार्थी सं0 1 से 4 द्वारा प्रार्थीगण को यह धमकी देने पर कि उक्त मंदिर का पट्टा उनके पूर्वजों के नाम उसने अपने नाम से पंचायत से बनवा लिया है जिस पर प्रार्थीगण ने ग्राम पंचायत में जानकारी करने पर फर्जी तारीके से प्राप्त किये गयो पट्टे की जानकारी होने पर यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत लवाण द्वारा जारी पट्टा संकल्प सं0 19 दिनांक 5.9.2001 जो कि ग्राम लवाण में स्थित नर्बदेश्वर मंदिर महादेव महाराज के संबंध में जारी किया गया है को निरस्त फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं01 ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण ने यह निगरानी याचिका धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत पेश की गई है। प्रार्थीगण को ग्राम पंचायत लवाण के द्वारा जारी पट्टे की अपील पंचायत समिति में की जानी थी। प्रार्थीगण द्वारा पंचायत समिति में अपील नहीं करके सीधे माननीय न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के निगरानी याचिका प्रस्तुत की है जो पोषणीय नहीं है। प्रार्थीगण मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है जो कि प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस जारी रखते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष लगभग 24 वर्ष के अत्यधिक विलंब से निगरानी याचिका प्रस्तुत की है जो निरस्त योग्य है। ग्राम पंचायत लवाण के द्वारा जारी पट्टा पूर्णतया विधिसम्मत तरीके से जारी किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका निरस्त फरमाई जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस के दौरान न्यायिक दृष्टान्त 2018–19 (supp)RRT 125 की प्रति पेश की गई।

5. अप्रार्थी सं0 2 से 7 के बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:52:47 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया गया।

7. इस संबंध में धारा 97 पंचायती राज अधिनियम अवलोकनीय है जो कि इस प्रकार है:–

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or SubCommittee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Inserted by Sec. 8 of the Rajasthan Panchayati Raj (Amendment) Act, 1994 (Act No. 23 of 1994) published in Rajasthan Gazette Extra-ordinary, Part IV (A) dated 06.10.1994 as a new Sec. (95- A) after Sec. 95 (w.e.f. 23-01-1994).

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any party unless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec. (1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

8. राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की धारा 61 (पंचायत के आदेश की अपील) इस प्रकार है:–

(1)इस अधिनियम के अधीन या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या उप–विधि के अधीन किये गये या जारी किये गये किसी पंचायत के आदेश या निर्देश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश या निर्देश की अपील अधिकारिता रखने वाली पंचायत समिति को ऐसे आदेश या निर्देश की तारीख से तीस दिन के भीतर भीतर कर सकेगा जिसमें से उनकी प्रति अभिप्राप्त करने के लिए अध्यपेक्षित समय अपवर्जित होगा।

(2) उप–धारा (2) के अधीन की अपील की सुनवाई धारा 56 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित पंचायत समिति की स्थायी समिति द्वारा की जायेगी।

(3) उप–धारा (2) के निर्दिष्ट स्थायी समिति व्यथित व्यक्ति, पंचायत और ऐसे आदेश या निर्देश से, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, प्रभावित किसी भी अन्य व्यक्ति की सुनवाई के पश्चात ऐसे आदेश या निर्देश को परिवर्तित, अपास्त या पुष्ट कर सकेगी और अपील फाईल करने वाले व्यक्ति को या उससे हर्जा खर्चा दिला सकेगी।

(4) स्थायी समिति का विनिश्चय समिति का विनिश्चय पंचायत समिति का विनिश्चय समझा जावेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:52:47 IST
Reason: SelfAttested

9. साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 166 में निम्न प्रावधान है:–

166.अपीलें–(नियम 154 के अधीन आबादी भूमि के विक्रय या नियम 160 के साथ पठित नियम 156 के अधीन आबादी भूमि के अंतरण या नियम 157, 158 या 159 के अधीन, भूमियों के आवंटन की पुष्टि करने वाले पंचायत के किसी मूल आदेश की पंचायत समिति को कोई अपील अधिनियम की धारा 61 के अनुसार हो सकेगी।

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

Web Copy - Not Official

10 इस प्रकरण में हमारा मत है कि प्रार्थीगण सर्वप्रथम यदि वह उक्त जारी किये गये पट्टे से व्यथित है तो उसकी अपील पंचायत समिति के समक्ष प्रस्तुत करें।

11 अतः निम्न निर्देश के साथ प्रार्थना पत्र को निर्णित किया जाता है:—

- प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दिनांक 12.02.2025 को पंचायत समिति लवाण के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें जिस पर पंचायत समिति लवाण अपना निर्णय पारित करें। इस आदेश के साथ ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति भी भिजवाई जा रही है।
- यदि कोई पक्ष पंचायत समिति के निर्णय से व्यथित होता है तो वह भविष्य में पुनः निगरानी प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा यह निगरानी जो कि विलंब से प्रस्तुत की गई है जिस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। भविष्य में यदि किसी पक्ष द्वारा निगरानी प्रस्तुत की जाती हैं तो लिमिटेशन के बिन्दु पर भी अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 31 जनवरी, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस की अवधि में की जा सकेगी।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:52:47 IST
Reason: SelfAttested